भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 59(B)/16-17

शांति महतो बनाम संतोष महतो

:: आदेश ::

20-06-17 अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी सरायकेला का पत्रांक 846 दिनांक 19.12.16 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 59(B)/16-17 से जॉच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस वाद में शांति महतो, पति-स्व0 वावरी महतो, ग्राम-विजय, थाना-सरायकेला, जिला- सरायकेला- खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु संतोष महतो, पिता-स्व0 भगत महतो, ग्राम-विजय, थाना-सरायकेला, जिला- सरायकेला-खरसावॉं को निम्नांकित भूमि की विकी करने के लिए छोटानागपुर की धारा 46(1)B के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किया है। केता के निवास के संबंध मे आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र दिया गया है।

:: भूमि का विवरण::

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
विजय	197	83	448	0.26 ए0
			451	0.09 ए0
			कुल	0.35 ए0

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही किया है अंचल अधिकारी सरायकेला द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए भूमि विकी करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से पता चलता है कि प्रस्तावित भूमि विकेता के पति एवं अन्य के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदिका के हिस्से मे लगभग 6.15 एकड़ जमीन है। जिसमें से 0.35 एकड़ विकी करने के पश्चात 5.8 एकड़ भूमि बचती है। विकेता अपने दखल कब्जा भूमि को विकी करना चाहते है। प्रतिवेदनानुसार विकेता एवं केता एक ही थाना एवं जिला के रहने वाले जाति महतो (कुर्मी) है, जो (पिछड़ा) वर्ग मे आते है।

उपयुक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक मे उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.35 एकड़ भूमि विकी करने की अनुमति दी जाती है

7/6/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

सरायकेला।